भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †840
24 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

एफपीओ और एसएचजी को समर्थन देने की पहल

†840. डॉ. अमर सिंह:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों में सुधार के लिए किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों को समर्थन देने के लिए कोई पहल की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं नामत: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और सहकारी समितियां भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों के 166 प्रस्तावों, स्वयं सहायता समूहों के 1228 प्रस्तावों तथा सहकारी समितियों के 61 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

*****